

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2023/

दिनांक -

प्रार्थीगण
1 रामसिंह 2 मेवसिंह 3 उगमकंवर पिसरान छेलसिंह 4
असरतकंवर पत्नी छेलसिंह 5 उंकारसिंह 6 डूंगरसिंह 7 पाबूसिंह
पिसरान हरीसिंह 8 गेरकंवर पत्नी प्रेमसिंह 9 गुलाबसिंह 10
दर्ददानसिंह 11 दातारसिंह 12 प्रकाशसिंह 13 हाथीसिंह पिसरान
आसकरणसिंह 14 सरेकंवर पत्नी आसकरणसिंह 15
छितराजसिंह पुत्र जोगराजसिंह 16 मफूकंवर पत्नी जोगराजसिंह
17 तेजमालसिंह पुत्र मलसिंह 18 धोकलसिंह पुत्र रिडमलसिंह
19 बचनसिंह पुत्र गोरधनसिंह 20 महेन्द्रसिंह पुत्र रिडमलसिंह 21
देवीसिंह 22 जसवन्तसिंह 23 सुरेन्द्रसिंह पिसरान रूपसिंह 24
चन्द्रकंवर पत्नी रूपसिंह 25 लूणसिंह (पीरसिंह) पुत्र प्रेमसिंह 26
श्रवणसिंह पुत्र जोगराजसिंह 27 श्रवणसिंह 28 किस्मतसिंह
पिसरान स्वरूपसिंह 29 गनेकंवर पत्नी स्वरूपसिंह 30
सुशीयॉकंवर पत्नी छेलसिंह 31 लेहरकंवर पत्नी जोगराजसिंह
जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम


अप्रार्थीगण

1 अशोकसिंह पुत्र पदमसिंह
वगैराह जाति राजपूत निवासी
नारखानसिंह की ढाणी
बाड़मेर आगोर तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 246/2023 दिनांक-

आदेश


उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर आगोर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर
के खसरा संख्या 1790 रकबा 12.0758 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित
करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने
बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
दिनांक-

क्रमांक :- रीडर/2023/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रामसिंह पुत्र छेलसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी बाड़मेर आगोर तहसील व जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थी अशोकसिंह पुत्र पदमसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी नारखानसिंह की ढाणी
बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर